बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

पटना – 29 मई, 2024

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में बिहार राज्य निर्वाचन विभाग निष्पक्ष, स्वच्छ एवं स्वस्थ चुनाव कराने के लिए कृतसंकल्प है। एक ओर जिलों में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण तथा समस्त गतिविधियों के संचालन का प्रशिक्षण जोर–शोर से चालू है, साथ ही समस्त तैयारियाँ भी प्रगति पर हैं। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि आगामी 01 जून, 2024 को सातवें चरण में पड़ने वाले 08 (आठ) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन की तिथि नियत है। तदनुसार सातवें चरण में दिनांक 01 जून को नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम–अ0जा0, काराकाट तथा जहानाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव की तैयारियाँ पूरी की जा रही है। ज्ञातव्य है कि इसी सातवें चरण के चुनाव की तिथि 01 जून को अगिऑव–अ0जा0 विधान सभा उप चुनाव भी सम्पन्न होगा।

लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के लिए आगामी 04 जून को मतगणना की तिथि नियत है। इस हेतु चुस्त–दुरूस्त व्यवस्था के मद्देनजर आज दिनांक 29.5.2024 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की अध्यक्षता में मतगणना तैयारियों के निमित्त सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी/निर्वाची पदाधिकारी के साथ V.C. के जरिये समीक्षात्मक बैठक आयोजित कर कई निदेश दिये गये।

आज दिनांक 29.5.2024 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक आयोजित की गई जिसमें आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट), इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस, जनता दल (यूनायटेड), राष्ट्रीय लोक जन शक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल तथा कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट–लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) के प्रतिनिधिगण मौजूद थें।

विदित हो कि लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता के तहत लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के तहत भागलपुर जिलांतर्गत एक (01) मामला प्रतिवेदित है तथा तदनुसार एक (01) एफआईआर दर्ज है। अवैध बैठक/भाषण आदि के संदर्भ में ग्यारह (11) मामले प्रतिवेदित हैं जो क्रमेण इस प्रकार हैं–पश्चिम चम्पारण जिलांतर्गत दो (02), पूर्वी चम्पारण जिलांतर्गत छः (06) एवं सहरसा जिलांतर्गत तीन (03)। इस संदर्भ में ग्यारह (11) एफआईआर दर्ज हैं।

मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 28.05.2024 को कुल **₹35.86614**(लाख) रूपये नगद बरामद किये गये हैं। कुल जब्त लीकर–14865.98(लीटर) की सूचना प्राप्त हुई है जिसका मूल्य **₹21.18314**(लाख) रूपये हैं। जहाँ तक ड्रग्स तथा नारकोटिक्स की बात है तो कुल **₹52.61600**(लाख) रूपये मूल्य के 15625.00(ग्राम) की मात्रा जब्त की गई है। मुफ्त/अन्य सामग्रियों के तहत कुल **₹30.47190**(लाख) रूपये मूल्य की 22388.00 सामग्रियों को जब्त किया गया है। इस प्रकार कुल **₹140.13718**(लाख) रूपये मूल्य की जब्ती प्रतिवेदित है।